रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 216] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 20, 1988/चैत्र 31, 1910

No. 216] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 20, 1988/CHAITRA 31, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1988

अधिसूचना

का. आ. 403 (अ).—केन्द्र सरकार ने अब चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय जननिक इंजीनियरी एवं जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र के कानूनों का अनुसमर्थन कर दिया है;

और चूंकि इन कानूनों के अनुच्छेद 13 के अनुसरण में अन्तर्राष्ट्रीय जननिक इंजीनियरी एवं जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र को, इसके प्रतिनिधियों, अधिकारियों और विशेषज्ञों को भारत में वही विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान करना आवश्यक है जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की अनुसूची में निर्धारित है;

अतः अब संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इसके द्वारा, यह घोषणा करती है कि उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची में जो प्रावधान निर्धारित किए गए हैं वे आवश्यक परिवर्तन सहित अन्तर्राष्ट्रीय जननिक इंजीनियरी एवं जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र पर, इसके प्रतिनिधियों, अधिकारियों और विशेषज्ञों पर भी नीचे लिखे संशोधनों के साथ लागू होंगे, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची में—

1. इसमें जहां भी "संयुक्त राष्ट्र" शब्द आएंगे (सिर्फ अनुच्छेद आठ में परिभाषित "संयुक्त राष्ट्र लैसे पासे" को छोड़ कर) वहां इनके स्थान पर शब्द "अन्तर्राष्ट्रीय जननिक इंजीनियरी एवं जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र" रखे जाएंगे।

2. अनुच्छेद पांच में—

(i) खंड सत्रह में शब्द "महासचिव" के स्थान पर शब्द "केन्द्र निदेशक" रखे जाएंगे और "वह" शब्द से शुरू होकर "सहायता" शब्दों पर समाप्त होने वाला वाक्य हटा दिया जाएगा;

(ii) खंड 19 में शब्द "महासचिव तथा सभी सहायक महासचिव" के स्थान पर "केन्द्र निदेशक" शब्द रखे जाएंगे,

(iii) खंड 20 में शब्द "महासचिव" के स्थान पर जहां कहीं भी वे पहली बार आएंगे, शब्द "केन्द्र निदेशक" रखे जाएंगे; और "के मामले" से शुरू होने वाले और "उन्मुक्ति : समाप्त करने के लिए" शब्दों पर समाप्त होने वाला अन्तिम वाक्य हटा दिया जाएगा।

3. अनुच्छेद छः में खंड 23 में शब्द "महासचिव" के स्थान पर शब्द "उक्त केन्द्र के निदेशक" रखे जाएंगे।

4. अनुच्छेद सात में :—

(क) खंड 27 में "महासचिव," सहायक महासचिव और निदेशक" शब्दों के स्थान पर "विभागाध्यक्ष" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) खंड 28 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, यथा:—

"28. इस केन्द्र के मुख्यालय में जो व्यक्ति प्रशिक्षण पा रहे हों अथवा कार्मिकों के आदान-प्रदान की योजना में भाग ले रहे हों, उन सभी को प्रवेश या प्रवास करने का अधिकार होगा जैसा कि उनके प्रशिक्षण या कार्मिकों के आदान प्रदान के उद्देश्य के लिए आवश्यक हो।"

[सं. यू आई 151-3/5/88]
प्रकाश शाह, संयुक्त सचिव (यू. एन.)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 12th April, 1988

NOTIFICATION

S.O. 403(E).—Whereas the Central Government has ratified the Statutes of the International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology;

And whereas in pursuance of Article 13 of the said Statutes, it is necessary to accord to the International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, its representatives, officials and experts privileges and immunities in India similar to those contained in the Schedule to the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), the Central Government hereby declares that the provisions set out in the Schedule to the said Act shall apply, mutatis mutandis, to the International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, its representatives, officials and experts subject to the following modifications, namely :—

MODIFICATIONS

In the Schedule to the said Act :—

1. For the words "United Nations" wherever they occur except in the expression "United Nations Laissez-passer" in Article VII), the words "International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology" shall be substituted.

2. In Article V,—

(i) in Section 17, for the words "Secretary-General" the words "Director of the said Centre" shall be substituted and the sentence beginning with the words "He shall", and ending with the words "the General Assembly" shall be omitted;

(ii) in Section 19, for the words "Secretary General and all Assistant Secretaries-General", the words "Director of the said Centre" shall be substituted;

(iii) in Section 20 for the words "Secretary-General", where they occur for the first time, the words "Director of the said Centre" shall be substituted and the last sentence beginning with the words "In the case of" and ending with the words "to waive immunity" shall be omitted.

3. In Article VI, in Section 23, for the words "Secretary-General", the words "Director of the said Centre" shall be substituted;

4. In Article VII :—

(a) in Section 27, for the words "Secretary-General, Assistant Secretaries-General and Directors", the wrods "Heads of Departments" shall be substituted;

(b) for Section 28, the following Section shall be substituted, namely :—

"28. All persons undergoing training or taking part in a Scheme for the exchange of personnel at the Head-Quarters of the Centre shall have the right of entry into or sojourn as is necessary for the purpose of their training or the exchange of personnel".

[No. UI|151.3|5|88]
PRAKASH SHAH, Jt. Secy. (UN)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988